(28)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1123–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–2–2016 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर, प्रकरण कमांक 43/अपील/2014–15.

.....

हरीराम पुत्र श्री खच्चूराम
निवासी ग्राम सरनागत तहसील डबरा जिला ग्वालियर
जर्ये मु.आ. कमलकिशोर शर्मा पुत्र श्री हरीराम शर्मा
निवासी ग्राम सरनागत तहसील डबरा जिला ग्वालियर

..... आवेदक

विरूद्ध

1–सतनाम पुत्र धारासिंह
2–परमजीत पुत्र धारासिंह
निवासीगण ग्राम सरनागत तहसील डबरा व जिला ग्वालियर
3–मध्यप्रदेश शासन
4–बख्तोरसिंह पुत्र अमरिक सिंह
5–लखवीरसिंह पुत्र अमरिक सिंह
6–चरनजीतसिंह पुत्र लखवीरसिंह
7–कमलजीतसिंह पुत्र लखवीरसिंह
8–सर्वजीतसिंह एवं शमशेरसिंह नाबालिग पुत्रगण बख्तोरसिंह
द्वारा संरक्षक पिता बख्तोरसिंह
निवासीगण ग्राम सरनागत तहसील डबरा व जिला ग्वालियर

.....अनावेदकगण

श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक– आवेदक
श्री पल्लव त्रिपाठी, अभिभाषक– अनावेदक कमांक 1 व 2
श्रीमती रजनीवशिष्ठ शर्मा, शासकीय अभिभाषक– अनावेदक कमांक 3
श्री लखनसिंह धाकड़ अभिभाषक–अनावेदक कमांक 4

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 2/8/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–2–2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 18–6–2014 के अनुक्रम में आवेदक द्वारा कलेक्टर के समक्ष आवेदन

पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि माफी, औकाफ की भूमि जिसका पुराना सर्वे नम्बर 359 है, इस भूमि का राजस्व निरीक्षक एवं अधीक्षक भू–अभिलेख द्वारा स्थान परिवर्तित कर सर्वे नम्बर 372 कर दिया गया है, जबकि सर्वे नम्बर 359 में से नवीन सर्वे नम्बर 799, 800, 814, 815 एवं 816 का आधा भाग होना था । इस आधार पर उल्लेख किया गया कि सर्वे नम्बर में हेरफेर कर भूमि अनावेदक कमांक 1 व 2 को दे दी गई है । उक्त आवेदन पत्र पर अपर कलेक्टर द्वारा कार्यवाही की जाकर दिनांक 30–8–2014 को आदेश पारित कर संशोधन के आदेश दिये गये । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 29–2–2016 को आदेश पारित कर अपर कलेक्टर को निर्देश दिये गये कि वह सभी हितबद्ध पक्षों को समुचित सुनवाई का अवसर देते हुये विधिवत् कार्यवाही करें, तद्नुसार अपील का निराकरण किया गया। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) प्रश्नाधीन भूमि राजस्व अभिलेखों में माफी औकाफ दर्ज होकर मंदिर की भूमि है और आवेदक ही पुजारी नियुक्त होकर निरन्तर मंदिर की सेवा एवं देखभाल कर रहा है एवं प्रश्नाधीन भूमि चबूतरा महादेव के नाम से राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, परन्तु अनावेदकगण द्वारा राजस्व अधिकारियों से मिलकर स्थान बदल दिये गये हैं जिससे मंदिर की भूमि अन्यत्र स्थान पर चली गई है ।

(2) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18–6–14 को आदेश पारित कर कलेक्टर न्यायालय को विधिवत् कार्यवाही कर रिकार्ड दुरूस्त करने के निर्देश दिये गये हैं और कलेक्टर न्यायालय द्वारा विधिवत् जॉच कराई जाकर आदेश पारित किया गया है जो कि वैधानिक एवं उचित आदेश है ।

(3) अनावेदकगण द्वारा कलेक्टर न्यायालय के आदेश को इस आधार पर अवैध बतलाया जा रहा है कि श्रीमती गुडडीबाई द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की गई थी जो कि निरस्त हो गई है, परन्तु माननीय उच्च न्यायालय का

उक्त आदेश अनावेदकगण पर लागू नहीं होता है, क्योंकि उसमें वे पक्षकार नहीं थे और वे उस आधार पर कोई लाभ प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है ।

(4) कलेक्टर न्यायालय के आदेश से अनावेदकगण के हित प्रभावित नहीं होने से उन्हें अपील प्रस्तुत करने की अधिकारिता नहीं है ।

(5) अनावेदकगण द्वारा भिन्न–भिन्न न्यायालय में जो कार्यवाही की गई है वह दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये जा सके है, इसलिये इस न्यायालय में प्रस्तुत कर यह निगरानी की गई है । अतः उक्त दस्तावेजों के आधार पर आदेश पारित किया जाये ।

4/ अनावेदक कमांक 1 व 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) यह निगरानी कलेक्टर न्यायालय के आदेश दिनांक 30–8–2014 के विरूद्ध उद्भूत हुई है । इस आदेश को श्रीमती गुडडीबाई व श्रीमती राजाबेटी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका कमांक 2176/15 प्रस्तुत की गई थी जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14–12–15 को आदेश पारित कर कलेक्टर न्यायालय का आदेश निरस्त किया जा चुका है इसलिये इस निगरानी में कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती है ।

(2) अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण कलेक्टर को सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया गया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है इसलिये अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

(3) कलेक्टर द्वारा विवादित आदेश करने के पूर्व संबंधित कृषकों को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है इसलिये सुनवाई का अवसर देने हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में कलेक्टर न्यायालय द्वारा न्यायसंगत कार्यवाही की गई है ।

(4) अधीक्षक भू–अभिलेख से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कलेक्टर द्वारा प्रभावित सर्वे नम्बरों के भूमिस्वामियों को सूचना दिये बिना बन्दोबस्त के पूर्व की स्थिति अभिलेख में अमल करने के आदेश दिये गय हैं, जबकि दस्तावेजों से स्पष्ट है कि सर्वे नम्बर 799 तथा 815 परमजीत के नाम पर एवं सर्वे नम्बर 814 व 816 सतनाम के नाम पर दर्ज है ।

(5) ग्राम सरनागत नक्शा विहिन ग्राम था और विगत 40 वर्ष से नक्शा अभिलेखागार में उपलब्ध नहीं होने के कारण राज्य शासन द्वारा अधिसूचना जारी की गई और कब्जे के अनुसार नक्शे में स्वत्व मानकर अभिलेख का निर्माण किया गया है ।

5/ अनावेदक कमांक 3 शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाये ।

6/ अनावेदक कमांक 4 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर द्वारा आदेश पारित करने में उनकी भूमि अन्यत्र स्थान पर दर्शाई गई है एवं 5 बीघा भूमि कम कर दी गई है, अतः अपर आयुक्त द्वारा पुनः कार्यवाही करने हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में सही कार्यवाही की गई है।

7/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा यह पाते हुये कि कलेक्टर द्वारा आदेश पारित करने में अनावेदकगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया है, कलेक्टर का आदेश निरस्त कर कलेक्टर को सभी हितबद्ध पक्षकारों को समुचित सुनवाई का अवसर देते हुये प्रकरण में विधिसंगत कार्यवाही के निर्देश दिये गये है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । इस कारण अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

8/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–2–2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर